

दण्डात्मक N.P.V की गणना

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर-जोनिहा मार्ग (ODR) के कि.मी. स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या 1502, ग्राम असवार तारापुर, परगना-फतेहपुर, तहसील व जनपद - फतेहपुर (उ०प्र०) में रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में बिना वृक्ष पातन के प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.08047 हे० में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक N.P.V की गणना निम्नानुसार है :-

- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| 1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल | :- | 0.08047 हे० |
| 2. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व | :- | 0.3 |
| 3. उपरोक्त इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर | :- | रु० 6.26 लाख प्रति हे० |
| 4. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध N.P.V | :- | 0.08047 X 626000 |
| | = | 50374.22 अर्थात् 50374.00 |
| 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनवरी 2019 में बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग कर उल्लंघन किया गया है, इसलिये दण्डात्मक N.P.V | :- | 0.08047 X 626000 X 2 |
| | = | 100748.44 अर्थात् 100748.00 |
| 6. दण्डात्मक N.P.V का 12% वार्षिक ब्याज | :- | 100748.00 X 12 X 2 / 100 |
| | = | 24179.52 अर्थात् 24180.00 |
| 7. कुल दण्डात्मक N.P.V की धनराशि | :- | 100748.00 + 24180.00 |
| | = | 124928.00 |

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० भारत सरकार का एवं उपक्रम है इसलिये कुल दण्डात्मक N.P.V की धनराशि का 20 प्रतिशत ही धनराशि देय होगी।

अतः देय दण्डात्मक N.P.V की धनराशि :- 124928.00 X 20 / 100
= 24985.60 अर्थात् 24986.00

(रुपया चौबिस हजार नौ सौ छियासी मात्र)


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
 फतेहपुर